

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 40/15

संस्थापन दिनांक:-09/02/15

फाईलिंग नं. 233504002822015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

राधेश्याम पिता काशीराम,
उम्र 25 वर्ष, निवासी बल्ला चाला आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 25.03.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 22.01.2015 को समय शाम 08:30 बजे या उसके लगभग बल्ला चाल आमला सोनी की दुकान के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी राजू माथनकर और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 22.01.2015 को शाम करीब 08:30 बजे बल्लाचाल आमला स्थित सोनी की दुकान से बिंडल माचिस लेकर उसकी बहन के घर जा रहा था तभी अभियुक्त ने उसे एक्सीडेंट की रिपोर्ट पर से मादरचोद की गाली देकर हाथ थप्पड़ से मारपीट कर धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे नाक पर चोट आकर खून निकला। अभियुक्त ने उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देकर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 39/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया

गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 अभियुक्त द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग-2

भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

6 राजू (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त राधेश्याम ने उसे पीछे से धक्का दिया था जिससे वह नीचे गिर गया और चेहरे में सामने की तरफ उसे चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसका मेडिकल मुलाहिजा हुआ था।

7 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 22.01.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत राजू का परीक्षण किये जाने पर आहत की नाक के उपर 2 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था। साक्षी ने उक्त चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) को प्रमाणित भी किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी के कथनों से फरियादी राजू (अ.सा.-4) को अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य संपुष्टि होती है।

8 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 24.01.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 39/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-5) एवं दिनांक 27.01.2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-7) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र फरियादी की साक्ष्य उपलब्ध है जिसके कथनों में विरोधाभास है। अतः अभियोजन कथा को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी महेश (अ.सा.-1) एवं दुर्गादास (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष में गवाह देने से बचता है। अतः साक्षीगण के समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन मामले को संदेहास्पद

नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत उत्तरप्रदेश राज्य विरुद्ध **अनिल सिंह (1988) पूरक एससीसी 686** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रकरण अन्य दृष्टि से सिद्ध व स्वीकार योग्य है तो प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन के अभाव पर अभियोजन मामले को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही अभिमत **म.प्र. राज्य विरुद्ध छगनलाल 2003 (1)जे.एल.जे. 362** में भी लिया गया है। अतः प्रकरण में फरियादी राजू (अ.सा.-4) के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।

11 राजू (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह बल्ला चाल आमला में अपनी बहन के घर जन्मदिन में आया हुआ था और बीड़ी लेने के लिए सोनी की दुकान तरफ गया था। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि जब उसने बीड़ी माचिस ली और घर तरफ जाने लगा तभी अभियुक्त राधेश्याम पीछे से आया और धक्का मारकर भाग गया। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि जब अभियुक्त ने धक्का दिया तो वह नीचे गिर गया था जिससे उसके चेहरे में सामने की तरफ चोट आयी थी। उसके भांजे दुर्गेश ने उसे अस्पताल में भरती कराया था। फिर उसने थाने में रिपोर्ट की थी।

12 राजू (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि उसके और अभियुक्त के बीच एकसीडेंट को लेकर विवाद चल रहा था। इसके अलावा घटना दिनांक को कोई बातचीत नहीं हुई थी। वह दुर्घटना में जो नुकसान हुआ था उसके मुआवजे की मांग अभियुक्त से कर रहा था। इसी बात को लेकर दो-दो बातें हुई थीं। इसके अतिरिक्त कोई भी विवाद नहीं हुआ था। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथनों से भिन्न कथन प्रकट किये हैं तथा संपूर्ण अभियोजन के मामले को भी ध्वस्त कर दिया है जिससे यह साक्षी विश्वसनीय नहीं रह जाता है। अतः साक्षी के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

13 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी राजू माथनकर और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त राधेश्याम को भारतीय दंड संहिता की

धारा 294, 323, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)